उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक जून 28, 2010 को सम्पन्न हुई 13वीं विशेष बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 13वीं बैठक दिनांक 28.06.10 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिवालय स्थित एफ0आर0डी0सी0 सभागार में अध्यक्ष, यूईपीपीसीबी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न उपस्थित थे –

1. श्री सुभाष कुमार, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री जयराज, मुख्य वन संरक्षक, देहरादून।
3. श्रीमती निधिमणि त्रिपाठी, अपर सचिव, नगर विकास, देहरादून।
4. श्री सुशील कुमार, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
5. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसोशियेसन, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि।
6. श्री अजय माथुर, सहायक अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
7. डा0 अजय गैरोला, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव यू0ई0पी0पी0सी0बी0 द्वारा बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

कार्य सूची संख्या 13.1

बोर्ड की 12वीं बैठक दिनांक 20.04.10 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा बाहरवीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

कार्य सूची संख्या 13.2

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य बोर्ड की स्वीकृत 76 पदों के ढांचे के सम्बन्ध मे।

शासन द्वारा बोर्ड के अनुमोदित 76 पदों के स्वीकृत ढांचे का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया है।

कार्य सूची संख्या 13.3

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य बोर्ड की स्वीकृत पदों का ढांचा एवं तत्क्रम में राज्य बोर्ड की सेवानियमावली के सम्बन्ध में।

सदस्यों द्वारा बोर्ड के 76 पदों के ढांचें के क्रम में तैयार की गयी सेवानियमावली जो कि पूववर्ती राज्य बोर्ड जो कि उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सेवानियमावली के आधार पर तैयार की गयी है जिसमें मुख्य पर्यावरण अधिकारी एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पदों में भर्ती का स्त्रोत में निम्न परिवर्तन किया गया है।

1. **मुख्य पर्यावरण अधिकारीः**

(क) वर्तमान में एक पद की स्थिति में मौलिक रूप से नियुक्त पर्यावरण अभियन्ताओं/अधिकारियों/वैज्ञानिक अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों पदोन्नती द्वारा इस प्रकार पदोन्नत व्यक्ति को मुख्य पर्यावरण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किय जायेगा।

(ख) भविष्य में आवश्यकतानुसार पदों में बढोतरी की स्थिति में:

(1) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त पर्यावरण अभियन्ताओं में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस की इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा इस प्रकार पदोन्नति व्यक्ति को मुख्य पर्यावरण अधिकारी (अभियन्ता) के रूप में पदाभिहित किया जायेगाः परन्तु यदि पदोन्नति के लिये ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो वैज्ञानिक अधिकारियों का कोटा तदनुसार बढाया जा सकता है। परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में यथा उपयुक्ति के रूप में भरी गयी रिक्तियों की संख्या पर अगली भर्ती में पर्यावरण अभियन्ताओं/पर्यावरण अधिकारियों के कोटे के लिये आवंटित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करते समय विचार किया जायेगा और उनके कोटे को तदनुसार बढ़ा दिया जायेगा।

(2) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वैज्ञानिक अधिकारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नती द्वारा इस प्रकार पदोन्नत व्यक्ति को मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक) के रूप में पदाभिहित किया जायेगा परन्तु यदि पदोन्नति के लिये ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो, पर्यावरण अभियन्ताओं के कोटा को तदनुसार बढाया जा सकता है : परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में यथा उपर्युक्त के रूप से भरी गयी रिक्तियों की संख्या पर, अगली भर्ती में वैज्ञानिक अधिकारियों के कोटे के लिये आवंटित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करते समय विचार किया जायेगा और उनके कोटे को तदनुसार बढा दिया जायेगा।

परन्तु यदि पदोन्नती के लिए ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रसायन/जानपद/पर्यावरण/धातु एवं जैव विज्ञान अभियंत्रिकी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में उपाधी एवं रसायनशास्त्र/जन्तु विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में स्नात्तकोत्तर की उपाधि एवं कम से कम 6 वर्ष का पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में अनुभव हो को प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य पर्यावरण अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

2. **सहायक वैज्ञानिक अधिकारी**

(क) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वैज्ञानिक सहायकों में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा परन्तु ऐसे व्यथ्कत के मामाले में जिसके द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविधालय में एम0एस0सी0, पी0एच0डी0 की उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता सेवा की अपेक्षित अवधि 6 वर्ष होगी।

(ख) 50 प्रतिशत लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती।

उक्त सेवानियमावली को इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रस्ताव को यथाशीघ्र शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित् किया जाये।

कार्य सूची संख्या 13.4

राज्य बोर्ड के स्वीकृत ढांचे की विसंगतियों के सम्बन्ध मे।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया ,कि बोर्ड में कार्यरत ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो ऐसे पदों पर कार्यरत है जिनका पदनाम शासन द्वारा अनुमोदित ढांचे में सम्मलित नहीं किया गया है। उन्हें उनके शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव के आधार पर समायोजित किया जाये तथा पूर्ववर्ती राज्य बोर्ड से बंटवारे में आये कार्मिकों जिनका पद ढांचे में नही है के पदों के हितलाभ हेतु प्रस्ताव (संलग्नक–1) शासन को इस आशय के साथ प्रेषित् किया जाये, कि उक्त पदों को ढांचें में सम्मलित किया जाये।

कार्य सूची संख्या 13.5

बोर्ड के सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि यथाशीघ्र ढांचे में संवर्ग के संतुलन एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव बोर्ड के सुदृढीकरण हेतु शासन को प्रेषित् किया जाये।

कार्य सूची संख्या 13.6

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

बोर्ड अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया गया, कि श्रेणी ग एवं घ के पदों पर भविष्य में मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रकिया अपनायी जाये। इसे सेवानियमावली में भी वर्णित किया जाये। बोर्ड के सदस्यों के रूप में वित्त विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं तीन पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषज्ञों को भी बोर्ड प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित् किया जाये।

(डा0 अजय गैरोला)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

संलग्नक—1

बोर्ड में वर्तमान में कार्यरत ऐसे कार्मिकों का विवरण जिनके राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ढॉचे में सम्मिलित नही किये गये हैं

कम संख्या	पद नाम	कार्यरत कार्मियों की संख्या	सेवा का प्रकार	वेतनमान	सेवा शर्तों हेतु प्रस्ताव	नियुक्ति प्राधिकारी
1—	पर्यावरण अधिकारी	02	समूह—क	10000—15200	राज्य गठन के पश्चात निर्धारित चयन प्रकिया के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया। भविष्य में उक्त पद पर कोई नियुक्ति नहीं होगी एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर पदों को पर्यावरण अभियन्ता पर समायोजित किया जा सकता है।	अध्यक्ष
2—	सहायक पर्यावरण अधिकारी	03	समूह—ख	8000—13500	राज्य गठन के पश्चात निर्धारित चयन प्रकिया के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया। भविष्य में उक्त पद पर कोई नियुक्ति नहीं होगी एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर पदों को सहायक पर्यावरण अभियन्ता पर समायोजित किया जा सकता है।	अध्यक्ष
3—	कार्यालय अधीक्षक	01	समूह—ग	6375—175—9000	अभ्यर्थी पूर्ववर्तीय राज्य बोर्ड से विकल्प के आधार पर आलेखक—प्रालेखक पद पर प्राप्त हुआ। तद्पोरान्त नियमावली मे वर्णित प्राविधानों के तहत कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति द्वारा कार्यरत। शासन द्वारा वर्तमान ढाँचे में उक्त पद को सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त पद के सापेक्ष प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—2 का पद वेतनमान रू 5000—8000 पर स्वीकृत किया गया है। अतः उचित होगा कि पूर्ववर्ती राज्य बोर्ड से विकल्प के आधार पर तैनात कार्यालय अधीक्षक के पद को उक्त पद पर समायोजित किया जाए एवं उक्त पद हेतु वेतनमान रू 6375—9000 संरक्षित किया जाये एवं भविष्य में हितलाभ हेतु प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—1 का पद वेतनमान 6500—10500 सृजित किया जाए।	सदस्य सचिव
4—	वरिष्ठ लिपिक	01	समूह —'ग	4500—7000	पूर्ववर्ती राज्य बोर्ड से विकल्प के आधार पर टंकण लिपिक के पद सहित प्राप्त हुआ।	सदस्य सचिव

					तदोपरान्त राज्य बोर्ड द्वारा अन्तिम बंटवारे से पूर्व नियमावली के अनुसार वरिष्ठ लिपिक पद पर निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा भर्ती की गयी। शासन द्वारा वर्तमान ढाँचे में उक्त पद को सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त पद के सापेक्ष मुख्य सहायक का पद वेतनमान रू 4500–7000 पर स्वीकृत किया गया है। अतः उचित होगा कि पूर्ववर्ती राज्य बोर्ड से विकल्प के आधार पर तैनात वरिष्ठ लिपिक के पद को उक्त पद पर समायोजित किया जाए एवं भविष्य में हितलाभ हेतु प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 के वेतनमान को रू 6375–9000 किया जाए।	
5–	वाहन चालक	03	समूह–ग	3050–4590	दो कार्मिक पद सहित पूर्ववर्ती राज्य बोर्ड से विकल्प के आधार पर आये। दो पद पर राज्य बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती अतः उक्त पदों को संरक्षित रखते हुए भविष्य में उक्त पदों पर भर्ती न किया जाय तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन चालक की व्यवस्था की जाए।	सदस्य सचिव
6–	चपरासी	09	समूह–घ	2550–3200	आठ कार्मिक पद सहित पूर्ववर्ती राज्य बोर्ड से विकल्प के आधार पर आये, तथा एक कार्मिक की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में की गयी है। उक्त पदों को संरक्षित रखते हुए भविष्य में उक्त पदों पर भर्ती न किया जाय, तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से चपरासी की व्यवस्था की जाय।	सदस्य सचिव
7–	चौकीदार	01	समूह–घ	2550–3200	पूर्ववर्ती राज्य बोर्ड से विकल्प के आधार पर प्राप्त	सदस्य सचिव